भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3199

15 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्रों में अनियमितताएं/भ्रष्टाचार

3199. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में अधिकारियों तथा ठेकेदारों की सांठगांठ के कारण बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन मामलों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है जिनमें अपेक्षित कार्रवाई की गई है तथा कितने मामले अभी तक लंबित हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) से (ग): इस्पात सीपीएसई में शिकायतों का पंजीकरण और निपटान एक अविरत प्रक्रिया है। वर्ष 2020 और 2021 (28 फरवरी, 2021 तक) के दौरान, 42 कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही [विगत वर्ष/वर्षों से अग्रेनीत की गई कार्यवाही सहित] पूरी कर ली गई है, जिनके तहत उपयुक्त शास्ति लगाई गई है।

****